संख्या-2838/69-1-2001-28(सा)/99

प्रेषक,

श्री एस0आर0 लाखा,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष**
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊ: दिनाँक-25 जुलाई, 2001

विषय :**स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना कार्यक्रम की गयी समीक्षा।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना स्वरोजगार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा किये जाने पर मुख्य सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए उक्त सम्बन्ध में सुनियोजित एवं चरमबद्ध रूप से कार्यवाही करने पर बल दिया गया है।

2. आप अवगत है कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में स्वरोजगार उद्यम की स्थापना को प्रोत्साहन देकर शहरी पात्र बेरोजगार अथवा अल्परोजगार शुदा गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना एक अहम योजना है। योजना की विभिन्न उपयोजनाओं के अन्तर्गत गरीब समूहों पर विशेष जोर देते हुए महिलाओं एवं विकलागों को नियमानुसार अनिवार्यत: लाभान्वित करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को कम से कम स्थानीय आबाद मे उनकी संख्या के अनुपात में प्रोत्साहन देकर उन्हें स्वावलम्बी एवं सशक्त बनाये जाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। शासन स्तर परयोजना की समीक्षा किये जाने परयह तथ्य प्रकाश में आया हे कि गत वर्षो में हालांकि इस योजना में अच्छा कार्य हुआ है, परन्तु इसमें अभी और सुधार/प्रगति लाये जाने की पर्याप्त गुन्जाइश है।

3. जनपद स्तर पर अपेक्षित समीक्षा न किये जाने से इस योजना में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है। कई जनपदों में समीक्षा के दौरान यह देखने में आया है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की जनपदीय वार्षिक ऋण योजना में डबटेलिंग नहीं हो पायी है। बैंकों के साथ समीक्षा किये जाने पर यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त लाभार्थी, के खाते में शासन द्वारा दी गयी अनुदान की राशि समय से समायोजित नहीं की गयी। चूंकि इस योजना की सफलता अधिकांशत: व्यवसायिक बैंकों की सक्रिय एवं अनवरत् भागीदारी पर निर्भर करती है इस जनपद स्तर पर यह अपेक्षित है कि स्वरोजगार के जो जनपदवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते है उनका लीड बैंको द्वारा बनाया जाने वाली वार्षिक ऋण योजना में नगर पंचायतवार/बैंकवार/बाईबार समावेश सुनिश्चित कराया जाये और निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष डेढ़ गुना ऋण आवेदन पत्र प्रत्येक बैंक शाखा को वर्ष के प्रारम्भ में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिन लाभार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है, उनके मामलों में तुरन्त बैंक शाखा को अनुदान की राशि अवमुक्त करते हुए लाभार्थी के ऋण का वितरण सुनिश्चित कराया जाये, ताकि शासन द्वारा देय अनुदान का समयानुसार समायोजन लाभार्थी के खाते में

सुनिश्चित हो सके।

4. अत: स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की डिस्ट्रिक एनुअल क्रेडिट प्लान में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी सुनिश्चित कराते हुए इसका प्रगति की समीक्षा समय-समय पर आपके द्वारा की जाये। परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजनाअधिकारी यह सुनिश्चित मूल प्रति से उतार लें किया जाये कि जिन मामलों में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया गया है, लाभार्थी को दिया जाने वाला अनुदान (सब्सिडी) व बैंक ऋण का उसके खाते में समायोजन हो जाये।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी आपके संज्ञान में लाना हे कि वर्ष 2001-2002 में राज्य नगरीय अभिकरण द्वारा स्वयं सहायता बचत समूहों एवं ड्वाकुआ समूहों के गठन एवं बैंक से लिंक करने का अभियान चलाया जा रहा है। कृपया उक्त कार्यक्रमों की भी समीक्षा माह में एक बार करने का कष्ट करें एवं जनपद स्तर पर बैंकों, लाभार्थियों एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण के अधिकारियों के मध्य और अधिक समन्वय स्थापित कर योजना के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करें।

6. अनुरोध है कि आप उक्त संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एस. आर. लाखा)
सचिव

संख्या : 2838(1)/69-1-2001-28(सा)/99, तद्दिनांक

1- प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया मण्डलीय समीक्षा बैठक के समय संदर्भित प्रकरण की भी समीक्षा करने का कष्ट करें।

2- प्रतिलिपि निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की संदर्भित मामले की समय-समय पर समीक्षा करके शासन को अवगत कराते रहें।

आज्ञा से,
(एस. आर. लाखा)
सचिव